

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

8th Floor, Shakti Bhawan Extn.,

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001



UPRVUNL

विद्या सागर तिवारी

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

(CIN:U40101UP1980SGC005065)

पत्र सं०: /उनिलि/ टा०वा०से०/जनसुनवाई/16(06),

दिनांक: 06/08/2016

कार्यकारी महाप्रबन्धक(मा०सं०-1/6)/महाप्रबन्धक(मा०सं०),
उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-02/03/04/05), प्रशिक्षण,
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(ओ०स०)/अधिशारी अभियन्ता(रिफार्म),
उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय:-समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली-(IGRS)जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायती पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-शासनादेश संख्या 01/2016/01/चौतीस-लो०शि०-05/2016, दिनांक 16 जनवरी, 2016.

निगम के पत्रांक-846/उनिलि/टावासे/जनसुनवाई/16(5) दिनांक-01.06.2016.

आप अवगत है कि समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के अधीन, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय/उ०प्र० शासन से प्राप्त प्रकरणों पर शीघ्र से शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पत्रांक-846/उनिलि/टावासे/जनसुनवाई/16(05) दिनांक-01.06.2016 से वांछित निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

शासनादेश के अनुसार मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित प्रकरणों में नियमानुसार की गयी कृत कार्यवाही की आख्या से उन्हें अवगत करा कर शासन को सूचित किया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पत्रांक-616/उनिलि/टा०वा०से/ मा०मु०संदर्भ 14(09) दिनांक-09.09.2014 से आप की इकाई को प्रेषित किये जा चुके हैं, परन्तु कुछ प्रकरणों में सम्बन्धित अनुभाग/इकाई द्वारा मा० जनप्रतिनिधियों को पत्र प्रेषित नहीं किये गये हैं जिसके कारण शासन स्तर पर प्रकरण का निस्तारण सम्भव नहीं हो पाया है।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि जनसुनवाई प्रकरणों को नियमानुसार समय सीमा में निस्तारित कराने के लिए अधीनस्थों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(बी०एस० तिवारी)

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)



U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

8th Floor, Shakti Bhawan Extn.,

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

(CIN:U40101UP1980SGC005065)

(2)

पत्रांक- 974 /उनिलि/टावासे/जनसुनवाई/तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रणाली के अन्तर्गत प्रेषित प्रकरणों का नियमानुसार यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें:-

1-मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

2-मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/वाणिज्य/ईंधन/आर०एण्ड०एम०/जानपद/जानपद-नव परियोजनाएँ/करछना तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।

3-अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।

4-मुख्य अभियन्ता, पी०पी०एम०एम०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

✓5-मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

संलग्नक:-यथोपरि।

(बी०एस० तिवारी)

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

पत्रांक- /उनिलि/टावासे/जनसुनवाई/तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रणाली के अन्तर्गत प्रेषित प्रकरणों का नियमानुसार यथाशीघ्र निस्तारण कर E-mail एवं स्पीड पोस्ट से कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें:-

-मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/परीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा-सोनभद्र/ओबरा-सोनभद्र/परीछा-झांसी/कासिमपुर-अलीगढ़/पनकी-कानपुर, उ०प्र०।

संलग्नक:-यथोपरि।

(बी०एस० तिवारी)

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

प्रतिलिपि:- कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।